न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोडः-UP 2397)
****

UPST010052752026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1686/2026

शिव किशोर तिवारी पुत्र विन्देश्वरी प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम ठुन्नू तिवारी का पुरवा, थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 130/2023,
अन्तर्गत धारा 147, 307, 323, 504, 506, 325,
34, 452 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर।

11.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शिव किशोर तिवारी की ओर से यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोजन का संक्षेप में कथानक यह है कि दिनांक 16.05.2023 को समय सुबह लगभग 07.00 बजे वादी शिव प्रसाद तिवारी के भाई राज किशोर, प्रमोद कुमार, विमला देवी अपने दरवाजे पर बैठे थे इसी बीच में रास्ते में शिव किशोर तिवारी ट्रैक्टर खड़ा रखा था उसी ट्रैक्टर को हटाने को लेकर विवाद हुआ उसके बाद शिव किशोर, आशीष तिवारी, छोटू, प्रेमपती व वन्दना देवी एक राय होकर गाली-गलौंज व जान से मार डालने की धमकी देते हुए हमला बोल दिये और मारना शुरू कर दिये। शोर मचाते हुए घर के अन्दर भागे। शिव किशोर के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जो कि प्रमोद के सिर पर मार दिया। आशीष तिवारी के हाथ में लोहे की राड थी, लोहे की राड से विमला देवी को मार रहे थे, छोटू राजकिशोर के सिर पर लाठी से मार रहे थे। शोर पर वादी मौके पर बीच बचाव करने पहुंचा हो तो देखा कि घर के अन्दर शिव किशोर आदि मार-पीट कर रहे थे उसी बीच वन्दना ने वादी के हाथ पर लाठी से मारा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को मात्र रंजिशन पट्टीदाराना रंजिशन उक्त घटना में नामित किया गया है, जो पूर्णतया असत्य एवं काल्पनिक है। वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना बिल्कुल झूठी एवं गलत दर्शायी गयी है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147, 323, 504, 506, 452, 308, 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी थी, किन्तु बाद में पुलिस द्वारा धारा 307 एवं 325 की वृद्धि कर दी गयी, जबकि अभिलेखों पर उपलब्ध चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है, जिससे अभियोजन की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी टी.सी. आई.एल. में वाहन चालक के पद पर कुवैत में कार्यरत था तथा सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीविकोपार्जन हेतु एक्सटेंशन पर कार्य कर रहा था। पट्टीदारों से चली आ रही भूमि सम्बन्धी रंजिश के कारण उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्रार्थी दिनांक 08.04.2026 से भारत में रह रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रकरण के समस्त सह–अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैंः–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता;
2. आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है;
3. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता और
4. जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अन्य सहअभियुक्तगण के साथ नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके परिवारीजन को एकराय होकर धारदार हथियार से मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने व जान–माल की धमकी दिए जाने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर–जमानती अधिपत्र जारी किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है, प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन संख्या

4233/2026 योजित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेखित किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने के उपरान्त समन जारी किया गया था, किन्तु अभिलेखों से समन की तामील होना परिलक्षित नहीं होता है तथा इसके पश्चात् गैर–जमानती वारंट जारी कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि अभियुक्त आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसकी जमानत याचिका का निस्तारण विधि के अनुसार शीघ्रता से किया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त उक्त अवसर के बावजूद प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया गया तथा न ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया एवं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई नवीन तथ्य अथवा परिवर्तित परिस्थिति प्रदर्शित नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शिव किशोर तिवारी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

ह0

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोडः–UP 2397)

दिनांक 11.06.2026

(स्टेनोग्राफर–सुधीर सिंह)